



कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org Phone: 01352665366

पत्र संख्या- उ०चि०से०च०बो०/परी०/23/2024-25/786

दिनांक: 05 अक्टूबर, 2026

असिस्टेंट प्रोफेसर (नर्सिंग) परीक्षा- 2025 (राजकीय नर्सिंग कॉलेजों हेतु)

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त 16 पदों का अंतिम परीक्षा परिणाम (आंशिक संशोधन)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०/23/2024-25/521, दिनांक: 14 जुलाई 2025 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त 16 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर (नर्सिंग) पद हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 15 मार्च 2026 (रविवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक आयोजित की गई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा अनुक्रमांकवार परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण अभ्यर्थियों के सूचनार्थ पत्र संख्या उ०चि०से०च०बो०/परी०/23/2024-25/396, दिनांक 15 मई, 2026 के माध्यम से प्रकाशित किया गया जिसमें लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणी-उपश्रेणीवार रिक्त एक पद के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थियों को दिनांक 17 जून 2026 (बुधवार) को चयन बोर्ड कार्यालय में साक्षात्कार/अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर (नर्सिंग) परीक्षा-2025 हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं सेवा नियमावली के मानकों के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर (नर्सिंग) की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम श्रेष्ठता सूची (मैरिट लिस्ट) तैयार की गई तदोपरान्त अंतिम श्रेष्ठता सूची में उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षणों को लागू करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त 16 पदों पर अन्तिम परीक्षा परिणाम चयन बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या- उ०चि०से०च०बो०/परी०/23/2024-25/622, दिनांक 29 जुलाई 2026 यथा संशोधित पत्र संख्या- उ०चि०से०च०बो०/परी०/23/2024-25/690, दिनांक 14 अगस्त 2026 द्वारा घोषित किया गया। दिनांक 14 अगस्त 2026 को जारी परीक्षा परिणाम में मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 349/2025 (एस०बी०) बिजया मोहन्ता बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य को दिनांक 22 अगस्त 2025 को पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर (नर्सिंग) के विज्ञापित रिक्त 16 पदों में से एक पद (अनारक्षित श्रेणी) को उक्त रिट याचिका में अंतिम निर्णय पारित होने तक रिक्त रखा गया।

मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 349/2025 (एस०बी०) बिजया मोहन्ता बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 13 अगस्त 2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये थे-

It is hoped and required that the High-Power Committee shall frame the Regularization Rules within a period of six months. The respondent/competent authority is further directed to consider the petitioner's case for regularization after such rules are framed. Till the petitioner's case is considered and a decision is taken thereon, the petitioner shall continue to work on his present post and shall be paid remuneration as per the existing terms. Pending applications, if any, stand disposed of accordingly.

उक्त पारित आदेशों के क्रम में याचिकाकर्ता श्रीमती बिजया मोहन्ता द्वारा दिनांक 28.06.2026 को शासन को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके निस्तारण आदेश संख्या- 1/424178/xxviii(6)/43307/2026, दिनांक 18 अगस्त 2026 में निम्नलिखित तथ्य अंकित किया गया है-

“मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 349/एस०बी०/2025 बिजया मोहन्ता बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2025 के अनुपालन में निदेशक, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 25.04.2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर (संविदा) का विनियमितकरण किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के आदेश संख्या- 1298/xxx(2)/ 2013-3(1)/2006, दिनांक 30.12.2013 द्वारा प्रख्यापित विनियमितीकरण नियमावली 2013 एवं कार्मिक

विभाग के आदेश संख्या 138/xxx(2)/2025-E 69772/03(1)/2006 दिनांक 05.12.2025 के द्वारा प्रख्यापित संशोधित नियमावली, 2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विचार किया गया। निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा बैठक में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती बिजया मोहन्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर (संविदा) संशोधित विनियमितीकरण नियमावली 2025 के अनुसार अपनी नियुक्ति तिथि (17.07.2010) से दिनांक 04.12.2018 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर रहे हैं। अतः विनियमितीकरण संशोधित नियमावली 2025 से आच्छादित नहीं होने के कारण याची श्री मयंक जैमिनी पात्र नहीं पाये गये।

चूँकि संगत नियमानुसार श्रीमती बिजया मोहन्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर (संविदा) दिनांक 04.12.2018 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर रहे हैं अतः विनियमितीकरण हेतु प्रख्यापित नियमावली यथा संशोधित 2025 के आलोक में अर्हता/पात्रता पूर्ण नहीं किये जाने के कारण श्रीमती बिजया मोहन्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर (संविदा) के नियमितिकरण के प्रकरण पर विचार किये जाने का अवसर नहीं है। तदनुसार मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के समादार में श्रीमती बिजया मोहन्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर (संविदा) का विनियमित किये जाने का प्रकरण निस्तारित किया जाता है।”

चूँकि शासन द्वारा याचिकाकर्ता श्रीमती बिजया मोहन्ता का प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है, अतः याचिका संख्या 349/2025 (एस0बी0) बिजया मोहन्ता बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2025 को पारित आदेशों के क्रम में सुरक्षित रखे गए पद पर अंतिम श्रेष्ठता सूची (मैरिट लिस्ट) में से चयनित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निम्नानुसार घोषित किया जाता है:-

S. No.	Roll Number	Registration Number	Candidate's Name	Father's/Husband Name	Date of Birth	Category	Sub Category	NCC /TA	Select As
1	2520241085	2600100371	Mrs. VANDANA THAKUR	MR HARISH SINGH PUNDEER	08/07/1985	UR	UKW	-	UR

उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी के क्रम में अनारक्षित श्रेणी में कट-ऑफ अंक में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्रमांक	श्रेणी-उपश्रेणी	संक्षिप्त रूप	कट-ऑफ अंक
1	अनारक्षित श्रेणी	UR	152.75

ह0/-
(सुनील सिंह)
सचिव,